

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या :- 716/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
दि नैनीताल बैंक लिमिटेड, शाखा : बनीपार्क, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स ओम अरिहन्त एन्टरप्राइजेज जरिये पार्टनर्स श्री महेश कुमार जैन एवं श्रीमती सुनीता जैन,
पता :- दुकान नम्बर एस-44, सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, बनीपार्क, जयपुर।
2. श्री महेश कुमार जैन पुत्र श्री चौथमल जैन,
पता :- मकान नम्बर 1143, मिश्रा राजाजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
एवं राजेन्द्र फ्लोर मिल, प्लॉट नम्बर 12, सेन साहिब की छतरी, आईओसीएल पेट्रोल पम्प के पीछे, श्याम मार्ग, शास्त्री नगर, जयपुर।
एवं एस-44, सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, बनीपार्क, जयपुर।
3. श्रीमती सुनीता जैन पत्नी श्री महेश कुमार जैन,
4. श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री चौथमल जैन,
पता :- मकान नम्बर 1143, मिश्रा राजाजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
एवं एस-44, सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, बनीपार्क, जयपुर।
5. श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री चौथमल जैन,
पता :- मकान नम्बर 1143, मिश्रा राजाजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
एवं राजेन्द्र फ्लोर मिल, प्लॉट नम्बर 12, सेन साहिब की छतरी, आईओसीएल पेट्रोल पम्प के पीछे, श्याम मार्ग, शास्त्री नगर, जयपुर।
6. श्रीमती नैना जैन पत्नी श्री महेन्द्र कुमार जैन,
पता :- मकान नम्बर 1143, मिश्रा राजाजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
एवं राजेन्द्र फ्लोर मिल, प्लॉट नम्बर 12, सेन साहिब की छतरी, आईओसीएल पेट्रोल पम्प के पीछे, श्याम मार्ग, शास्त्री नगर, जयपुर।
एवं एस-44, सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, बनीपार्क, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act. 2002.

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।


आदेश

दिनांक: 24.11.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री महेश कुमार जैन एवं श्री मनोज कुमार जैन के स्वामित्व की सम्पत्ति एस-44, सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, बनीपाक, जयपुर क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 07.05.2018 को राशि 18,00,000/- व दिनांक 26.06.2020 को राशि 3,60,000/- व दिनांक 01.09.2020 को राशि 1,25,121/- कुल राशि

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

- 22,85,121/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
 3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 22,85,121/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 24,87,450.32/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 14.06.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
 4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री महेश कुमार जैन एवं श्री मनोज कुमार जैन के स्वामित्व की सम्पत्ति एस-44, सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, बनीपाक, जयपुर क्षेत्रफल 22.22 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
 5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो।
 6. आदेश आज दिनांक 24.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर